

आवध विहार योजना

सुल्तानपुर रोड़ (शहीद पथ) लखनऊ

सेक्टर- 7ए, (जी+3) प्रकार के चार मंजिलें
दुर्बल आय वर्ग के फ्लैट

सामान्य
पंजीकरण

07 दिसम्बर 2015

से

07 जनवरी 2016

तक

कार्यालय प्रयोग हेतु



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD



हरा-भरा

अवध विहार
आवासीय योजना

प्राकृतिक आवागमन से परिपूर्ण, प्रदूषण मुक्त स्वच्छ वातावरण
लगभग 50 प्रतिशत हरा-भरा पर्यावरण
इस योजना का मुख्य आकर्षण है।

30 प्र० आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।
- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कौस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

नगरीय जनसंख्या में हो रही तीव्र वृद्धि के सापेक्ष आवास की मांग को पूरा करने हेतु प्रयत्नशील।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे—विद्युत—आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सकें।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिए इच्छुक पंजीकृत आवेदकों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी प्रणाली अथवा कम्प्यूटर के माध्यम से (स्यूडो रैंडम) प्रणाली के आधार पर किया जायेगा।



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड़, शहीद पथ के दोनों ओर लगभग 1524 एकड़ भूमि पर अवध विहार योजना का विकास किया जा रहा है। "Integrated Planing and Design" के आधार पर परिकल्पित आवासीय परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 1500 भवन दुर्बल और अल्प आय वर्ग के लिए प्रस्तावित है। अगर आप भी दूँढ रहे हैं अपने सपनों का आशियाना, तो आवास विकास परिषद के इस विश्वस्तरीय टाउनशिप में आज ही बुक करायें अपना फ्लैट.....

टाउनशिप की प्रमुख विशेषताएँ

- ❖ "Intrgrated Planing and Design" के आधार पर परिकल्पित।
- ❖ कुल भू-भाग का 75 प्रतिशत भाग खुले स्थल और ग्रीनरी के लिये प्रयुक्त तथा 25 प्रतिशत पर निर्माण।
- ❖ एन्ट्रेन्स गेट/प्लाजा तथा सभी सेक्टर्स में सुरक्षा की दृष्टि से गेट का प्राविधान।
- ❖ पूरी योजना में सोलर स्ट्रीट लाइट का प्राविधान।
- ❖ टाउनशिप में फाइव स्टार होटल, मल्टीप्लेक्स/शॉपिंग मॉल, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, उच्च स्तरीय तकनीक प्रबंध संस्थानों हेतु समुचित व्यवस्था।
- ❖ उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के आधार पर दुर्बल आय वर्ग और अल्प आय वर्ग के लिये टाउनशिप के अन्दर ही आवासीय योजनाएं।
- ❖ टाउनशिप की चौड़ी सड़कों, बड़े चौराहों, रेलवे ओवरब्रिज के द्वारा सुल्तानपुर रोड़, रायबरेली रोड़, वृन्दावन योजना, गोमती नगर विस्तार योजना, पी.जी.आई., एयरपोर्ट आदि से सीधी कनेक्टिविटी।
- ❖ सम्पूर्ण टाउनशिप में भूमिगत विद्युतिकरण, ड्रेनेज व्यवस्था।
- ❖ सुल्तानपुर रोड़ से योजना के मध्य में 45 मी. चौड़ी मास्टर प्लान सड़क जो उतरठिया रेलवे स्टेशन के निकट Rly. Over Bridge द्वारा वृन्दावन योजना से होती हुई पी.जी.आई. एवं रायबरेली रोड़ को जोड़ेगी।

**लखनऊ जोन में सामान्य पंजीकरण के अन्तर्गत
अवध विहार योजना लखनऊ के सेक्टर-7 ए
में स्थित दुर्बल आय वर्ग (जी+3) के चार मंजिले फ्लैट्स का
सामान्य पंजीकरण-दिनांक 07 दिसम्बर 2015 से प्रारम्भ**

सम्पत्ति व श्रेणी का विवरण

क्र. सं.	योजना/सेक्टर का नाम	आवासीय फ्लैट का प्रकार			प्रस्तावित फ्लैट्स की संख्या	प्रस्तावित अनुमानित विक्रय मूल्य प्रति नग (₹ लाख में)	पंजीकरण धनराशि सामान्य वर्ग	पंजीकरण धनराशि आरक्षित वर्ग
		श्रेणी	प्लिन्थ एरिया (वर्ग मी.)	सुपर प्लिन्थ एरिया (वर्ग मी.)				
1	अवध विहार योजना लखनऊ सेक्टर - 7 ए	दुर्बल आय वर्ग	33.69	37.35	370	भू-तल 10.90 प्रथम तल 9.10 द्वितीय तल 8.90 तृतीय तल 8.70	₹ 55000.00 ₹ 55000.00 ₹ 55000.00 ₹ 55000.00	₹ 27500.00 ₹ 27500.00 ₹ 27500.00 ₹ 27500.00

नोट:-

- दुर्बल आय वर्ग के फ्लैट्स के आवंटन के पश्चात 15 प्रतिशत एक माह में व शेष 15 वर्षों की सख्याज 180 मासिक किश्तों में।
- दुर्बल आय वर्ग के आवेदकों हेतु अधिकतम वार्षिक आय रू0 1,00,000.00 सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिलाधिकारी / राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।

एक मुश्त भुगतान विकल्प देने पर

- आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत होने पर फ्लैट के कुल मूल्य को 3 माह में भुगतान करना होगा।
- आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गमन होने पर फ्लैट के कुल मूल्य का 30 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर 2% की छूट की विशेष सुविधा अनुमन्य होगी।

- नोट :**
- उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी प्रविष्टियाँ संशोधित / परिवर्तित हो सकती हैं।
 - प्रदेशन के समय परिषद के द्वारा निर्धारित / स्वीकृत सम्पत्ति मूल्य देय होगा।
 - तालिका में दर्शित मूल्य अनुमानित हैं।

अवध विहार योजना 2015

इस पुस्तिका में केवल सामान्य सूचनायें दी गयी हैं। विस्तृत सूचना के लिये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा फ्लैट्स के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 यथा संशोधित जून, 1986 तथा समय-समय पर विनियमावली में संशोधन जो परिषद मुख्यालय पर निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध होगी, का अवलोकन करें। पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी सभी कार्यवाही उपरोक्त विनियमावली, समय-समय पर जारी आदेशों एवं शासनादेशों के अनुसार की जायेगी। इनमें समय-समय पर किये गये संशोधन भी लागू होंगे।

1 फ्लैट्स की विशिष्टियाँ:-

विशिष्टियों का विवरण	सामान्य आवास योजना के अन्तर्गत पंजीकरण
आर0 सी0 सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर	भूकम्प रोधी फ्रेम स्ट्रक्चर
फर्श	300 × 300 सेरेमिक टाइल्स
ट्वायलेट	फर्श पर ऐन्टीस्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स
चौखट	एंगिल आयरन
दरवाजे	30 एम.एम. मोटाई के आई.एस.आई मार्कड फ्लश डोर शटर्स
खिड़कियाँ	जेड सेक्शन
रंग रोगन	कलर लाइम वाश, दरवाजों पर इनेमलपेन्ट व बाहरी सतह पर एपेक्स
विद्युत	अग्नि रोधक कॉपर वायरिंग पियानो स्वीच

- 2-1 भूमि के मूल्य की गणना सम्पत्ति आवंटन के समय सम्बन्धित योजना की प्रचलित भूमि दर के आधार पर की जायेगी।
- 2-2 सम्पत्ति की लागत अनुमानित है। वास्तविक मूल्य प्रदेशन पत्र के आधार पर देय होगा। जो घट-बढ़ सकता है।

3 आवश्यक सेवायें एवं सार्वजनिक सुविधायें :-

- 3-1 परिषद् द्वारा विकसित की जा रही आवासीय योजनाओं में सभी आवश्यक सुविधायें जैसे पाईप लाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति, सीवर/सेप्टिक टैंक द्वारा सीवेज का निस्तारण, पक्की सड़कों का निर्माण, पार्कों का विकास एवं वृक्षारोपण, विद्युतीकरण एवं मार्ग प्रकाश की व्यवस्था आदि का प्राविधान किया जाता है।
- 3-2 योजना में आवश्यक नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था आदि प्राविधान किया जाता है।

4 सम्पत्तियों का प्लान :-

सम्पत्तियों का लेआउट प्लान, पुस्तिका में दर्शाया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित अधिकारी से सम्पर्क करें। सम्बन्धित कार्यालय एवं अधिकारी का पता पुस्तिका में दिया गया है।

- 5 पंजीकरण पुस्तिका अंकित बैंक/स्थान से प्राप्त की जा सकती है तथा सम्मुख अंकित बैंक में पंजीकरण धनराशि सहित आवेदन पत्र जमा करना होगा।

6 आवेदन का तरीका :-

- 6-1 इस पुस्तिका के साथ संलग्न आवेदन-पत्र तथा चालान की चारों प्रतियाँ भरकर पंजीकरण की निर्धारित धनराशि का नकद भुगतान या "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्", सामान्य पंजीकरण योजना-2015 द्वितीय चरण" देय लखनऊ, बैंक ड्राफ्ट निर्दिष्ट बैंक में अन्तिम तिथि तक समस्त संलग्नकों सहित जमा कर सकते हैं। आवेदन-पत्र जमा करने के उपरान्त चालान की तृतीय प्रति बैंक द्वारा हस्ताक्षरित कर मोहर लगाकर आपको तुरन्त वापस कर दी जायेगी। इसे सावधानी पूर्वक रखें।
- 6-2 इस पुस्तिका में प्रस्तुत तालिका में योजना तथा शहर का नाम, कोड संख्या एवं सम्पत्ति का प्रकार अंकित है। आवेदन पत्र पर कोड सावधानी से अंकित करें।
- 6-3 पंजीकरण की धनराशि सम्बन्धित बैंक में केवल नकद भुगतान अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जायेगी।
- 6-4 अपूर्ण एवं सशर्त तथा अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

6-5 डाक में हुए विलम्ब के लिये परिषद उत्तर दायी नहीं होगी।

7 पंजीकरण हेतु पात्रता :-

7-1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

7-2 आवेदक की आयु आवेदन पत्र भरते समय 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

7-3 दुर्बल आय वर्ग के फ्लैट हेतु समस्त श्रोतों से आय सीमा रू0 1,00,000.00 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7-4 आवेदक अथवा उसके परिवार के पास इस समय तथा भविष्य में भी परिषद् द्वारा आवंटित की जाने वाली सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए "अरबन लैण्ड सीलिंग एण्ड रेगुलेशन एक्ट-1976" में निर्धारित सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए।

8 पंजीकरण नियम :-

8-1 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिये संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति/पत्नी के नाम नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकृत व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के पंजीकरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।

8-2 यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स से अधिक होगी तो पात्र आवेदकों का चयन लाटरी द्वारा किया जायेगा। किन्तु प्राप्त आवेदनों की संख्या कम होने पर पात्र आवेदकों को बिना लाटरी ड्रा के चयनित कर लिया जायेगा। पात्रता चयन में असफल/निरस्त आवेदन पत्रों के आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज बैंक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

8-3 यदि कोई आवेदक पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा अथवा मांग-पत्र (जो भी पहले हो) जारी होने से पहले अपनी जमा धनराशि वापिस लेना चाहता है तो उसे बिना कटौती जमा पंजीकरण धनराशि आवेदन करने पर बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी, परन्तु जमा पंजीकरण धनराशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

8-4 यदि कोई आवेदक पात्रता चयन हो जाने के पश्चात पंजीकरण धनराशि 3 माह में वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत,

यदि आवेदक 3 माह के बाद पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो 50 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण निरस्त कराने तथा धनराशि वापसी हेतु मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं जमा की गयी धनराशि के चालान की चौथी प्रति मूल रूप में पुस्तिका में निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण कर आवेदन पत्र के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में जमा करनी होगी।

- 8-5 यदि किन्हीं कारणों से परिषद द्वारा यह योजना संचालित नहीं हो पाती है तो आवेदन करने पर पंजीकृत आवेदक की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में तत्समय राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा।
- 8-6 यदि किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन-पत्र भरते समय तथ्यों को छिपाया जाता है तो उसका पंजीकरण किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है और किसी भी आवंटन में उसे शामिल नहीं किया जायेगा तथा पंजीकरण की समस्त धनराशि परिषद नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी। कोई क्लेम न होगा।
- 8-7 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता चयन झा में आरक्षण की सुविधा प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 8-8 यदि किसी आवेदक द्वारा ऋण सुविधा प्राप्त की गयी है तो उसे रिफण्ड हेतु संस्था से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 8-9 जमा धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदक को बिन्दु 8-4 में उल्लिखित प्रपत्रों को संलग्न करते हुए आवेदन करना होना।
- 8-10 इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत आवेदक को परिषद आवेदित सम्पत्ति भवन देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी पंजीकृत आवेदक को सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाती तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना का हकदार नहीं होगा।

9 भुगतान का तरीका :-

- 9-1 फ्लैट आवंटन के पश्चात दुर्बल आय वर्ग में 15 प्रतिशत कुल मूल्य का एवं आरक्षित श्रेणी के

आवेदकों को पंजीकरण अन्तर की धनराशि प्रदेशन-पत्र निर्गत होने के एक माह के अन्दर अथवा प्रदेशन-पत्र में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा।

- 9-2 नकद पर आवंटित सम्पत्ति के कुल मूल्य में से जमा पंजीकरण धनराशि घटाने के उपरान्त शेष धनराशि भवनों में 3 माह के अन्दर/आवंटन पत्र में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा।
- 9-3 दुर्बल आय वर्ग के आवेदकों को 15 वर्षों की सब्याज मासिक किश्तों में भुगतान करना होगा।
- 9-4 प्रदेशन-पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया तो देय धनराशि अथवा किश्त की धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए परिषद नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ-साथ अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा।
- 9-5 प्रदेशन-पत्र के अनुसार देय धनराशि का भुगतान सूचित बैंक में ही नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट से किश्त जमा करने की दशा में "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" के नाम बैंक ड्राफ्ट जो सम्बन्धित शहर में देय हो, प्रदेशन-पत्र में सूचित बैंक में पंजीकरण/चालान संख्या, फ्लैट संख्या, आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट श्रेणी, आदि विवरण सहित जमा करना होगा। विशेष पे-इन रिलिफ बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 9-6 सम्पत्ति के विक्रय मूल्य/क्षेत्रफल आदि में कमी या बढ़ोत्तरी हो सकती है जिसकी सूचना प्रदेशन-पत्र के माध्यम से दी जायेगी तथा तदनुसार आवेदक को धनराशि का भुगतान करना होगा।

10 आवंटन नियम :-

- 10-1 सामान्यतः पंजीकृत सभी व्यक्तियों को आवास आवंटित करने का प्रयास किया जायेगा। पंजीकरण पात्रता ड्रा निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व सम्पन्न करा लिया जायेगा।
- 10-2 किसी विशेष श्रेणी के लिए इस योजना में पंजीकृत सभी आवेदक पंजीकरण नियम 7-2 के प्राविधानों के अनुसार समतुल्य समझे जायेंगे। सम्पत्ति का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा। लाटरी ड्रा के पूर्व पंजीकृत आवेदकों द्वारा लिखित सहमति दिये जाने पर उपलब्ध स्थिति के अनुसार समान श्रेणी के लिए गुपिंग अधिकतम चार तक की भी सुविधा दी जा सकती है।
- 10-3 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन/आवंटित सम्पत्ति का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों में व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित सम्पत्ति का

परिवर्तन नियमानुसार रिक्ति के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन सम्पत्ति का विलेख-निष्पादन एवं कब्जा लेने से पूर्व ही अनुमन्य होगा।

- 10-4 आवंटित सम्पत्ति का विक्रय एवं हस्तान्तरण के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन/परिषद द्वारा जो नियम अनुमन्य होंगे। इस योजना के आवंटियों पर भी लागू होंगे।
- 10-5 सम्पत्ति शासन/परिषदादेशों के अनुरूप आवंटित किया जायेगा।
- 10-7 योजना में किसी आवेदक को पंजीकृत किए जाने आदि से सम्बन्धित किसी भी मामले में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका में वर्णित किन्हीं भी शर्तों को शिथिल किए जाने अथवा परिषद् हित में अन्यथा निर्णय लिए जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

11 अन्य महत्वपूर्ण सूचना :-

- 11-1 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों को मान्य होंगे।
- 11-2 प्रस्तावित सम्पत्ति की स्थिति, उनकी संख्या, कुल क्षेत्रफल, आकार, मूल्य अनन्तिम (प्रोविजनल) है। इसमें कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है।
- 11-3 सम्पत्तियों के मूल्य पर नियमानुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लागू शुल्क भी देय होगा।
- 11-4 आवंटी को सम्पत्ति का कब्जा अद्यावधिक भुगतान एवं आवश्यक विलेखों के निष्पादन के बाद दिया जायेगा। कब्जा प्राप्त करने के पश्चात आवंटी को समस्त करों जैसे- वैट, सर्विस, जी.एस. टी. आदि का भुगतान स्वयं करना होगा। आवंटी द्वारा निर्धारित समय के अन्दर कब्जा न लिए जाने पर परिषद द्वारा सम्पत्ति की देखभाल एवं रखरखाव हेतु जो शुल्क निर्धारित किया जायेगा। वह परिषद द्वारा निर्धारित दर से शुल्क के रूप में लिया जायेगा।
- 11-5 प्रदेशन के उपरान्त सम्पत्ति न लेने पर परिषद द्वारा नियमानुसार कटौती की जायेगी।
- 11-6 प्रदेशन-पत्र में निर्धारित तिथि तक वांछित धनराशि जमा न करने तथा अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति न करने पर प्रदेशन, परिषद नियमानुसार निरस्त कर दी जायेगी।
- 11-7 यदि किसी पंजीकृत आवेदक के पक्ष में आवंटन हो जाने के उपरान्त आवंटन की शर्तों को पूरा


नहीं करता है तो उसका पंजीकरण / आवंटन नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

- 11-8 सम्पत्ति का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी द्वारा फ्लैट में अतिरिक्त निर्माण बिना परिषद् की अनुमति के नहीं किया जायेगा। उल्लंघन किये जाने पर आवंटन नियमानुसार कटौती करते हुए पंजीकरण / आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं भवन का कब्जा परिषद् द्वारा वापस ले लिया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद् के आदेश आवंटी को मान्य होंगे।
- 11-8 दुर्बल आय वर्ग के फ्लैट्स एवं परिसर का रख-रखाव फ्लैट के प्रथम कब्जे की तिथि से एक वर्ष तक परिषद् द्वारा किया जायेगा। उक्त अवधि के बाद फ्लैट्स एवं परिसर का रख-रखाव आवंटीगणों के द्वारा "रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी" बनाकर स्वयं अपने स्रोतों से कराया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को "रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी" का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

12 पंजीकरण हेतु जमा धनराशि :-

- 12-1 पात्रता चयन के सफल आवेदकों की पंजीकरण हेतु जमा धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक सम्पत्ति आवंटित न होने की दशा में 4 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज देय होगा। यह ब्याज उस धनराशि के परिषद् खाते में जमा होने के माह के आगामी माह की पहली तारीख से वापस लेने की तारीख के पूर्व माह की अन्तिम तिथि तक देय होगा अथवा उस पंजीकृत आवेदक को आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में समायोजित कर लिया जायेगा।
- 12-2 ऐसी धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित देय या समायोजित नहीं होगा जो परिषद् के पास एक वर्ष से कम अवधि तक जमा रही हो।
- 12-3 परिषद् किसी भी ऐसी धनराशि या उस पर ब्याज के लिए उत्तरदायी नहीं होगी जो बैंक अथवा जमाकर्ता आवेदक की गलती से परिषद् के खाते में जमा हुई हो। इस सम्बन्ध में परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा।

उपरोक्त के रहते हुये भी अन्य निर्णय आवास आयुक्त (म.) का बाध्यकारी होगा।



AREA FOR E.W.S. HOUSES

ANSAL PROPERTY

UTRETA RAILWAY STATION



TO KRINDAVAN YOINA

E.W.S. UNIT PLAN (TYPE-A)

1 LIV. ROOM, 1 BED ROOM, 1 KITCHEN, 1 W.C., 1 BATH & VERANDAH

BUILDUP AREA - 33.68 SQ.M. (362.39 SQ.FT.)

SUPER AREA - 37.34 SQ.M. (481.77 SQ.FT.)





E.W.S. UNIT PLAN (TYPE-B)

1LIV. ROOM, 1BED ROOM, 1KITCHEN, 1W.C., 1 BATH & VERANDAH

BUILT UP AREA - 33.18 SQ.M. (357.01 SQ.FT.)

SUPER AREA - 36.84 SQ.M. (396.39 SQ.FT.)



बैंक शाखाओं के नाम व पते जहाँ से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन पत्र (पंजीकरण धनराशि सहित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।

पंजीकरण आवेदन जमा करने हेतु अन्तिम तिथि : 07 जनवरी 2016

पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त एवं जमा करने हेतु बैंक

क्र.सं.	बैंक का नाम/पता	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष नम्बर
1.	इलाहाबाद बैंक कैसरबाग, लखनऊ	श्री रमेश चन्द्र मुख्य शाखा प्रबन्धक	0522-2612763 मो0 9457657084
2.	बैंक ऑफ बड़ौदा हीवेट रोड, लखनऊ-226019	श्री एम. एम. पाण्डेय मुख्य शाखा प्रबन्धक	0522-2626997 मो0 8090001084
3.	यूको बैंक सेक्टर-10ए, वृन्दावन योजना, शयबरेली रोड, लखनऊ-226029	सुश्री सुमिता साहू मुख्य शाखा प्रबन्धक	मो0 9580728091

नोट:

- मा0 न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्हीं कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदनुसार आवंटी को भुगतान आवश्यक रूप से करना होगा। कोई भी विवाद मान्य न होगा।
- सम्पत्तियों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है।
- सम्पत्ति का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- प्रस्तावित फ्लैट्स के सापेक्ष अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में पंजीकरण पात्रता चयन में परिषद/शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

महत्वपूर्ण नोट:-

1. सामान्य पंजीकरण 2015 द्वितीय चरण की पंजीकरण पुस्तिका का विक्रय एवं पंजीकरण आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित जमा करने आदि से सम्बन्धी कार्य उपरोक्त बैंकों द्वारा किया जायेगा।
2. (अ) डाक द्वारा दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग फ्लैट्स हेतु पंजीकरण पुस्तिका मंगाने हेतु रू0 300/- पुस्तिका मूल्य एवं डाक व्यय (रू0 50/-) स्वागत अधिकारी (प्रचार अनुभाग) उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है।
- (ब) डाक में होने वाले विलम्ब के लिए बैंक/परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ" के नाम से लखनऊ पर देय होगा।

आरक्षण

प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी के भवनों में आरक्षण शासन/परिषद के आदेशों के अनुसार प्रभावी होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायतों तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना है।
2	अनुसूचित जनजाति	2	तदैव
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	तदैव
4	विधायक/सांसद स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) वर्तमान विधायक/सांसद/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है (ब) समुचित प्रमाण-पत्र
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।	5	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सहायक अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप से संलग्न करना है। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हो तथा जिनकी दो वर्ष की सेवायें पूर्ण हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन के साथ नियत सैनिक अधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर संलग्न करना है।
8	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया-प्रति संलग्न करना है।
9	वशिष्ट नागरिक (आवेदन-पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा यथा निर्धारित उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र अथवा वैधानिक प्रमाण-पत्र।
10	परिषद योजना द्वारा उसी योजना में विस्थापित व्यक्ति	कोई निश्चित प्रतिशत नहीं (अधिकतम 10 प्रतिशत)	पंजीकरण दौर के बावजूद आवंटन के सर्वोच्च प्राथमिकता, सम्बन्धित विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी एवं उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से निर्धारित प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर विस्थापित को दी जायेगी अथवा परिषद द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल का भूखण्ड/भवन दिया जाएगा अथवा यथा निर्धारित वांछित श्रेणी के एक सम्पत्ति आवंटित की जायेगी।
11	विदेशी मुद्रा से सम्पत्ति क्रय करने के इच्छुक भारतीय नागरिक (केवल उच्च आय वर्ग भवन, मध्यम आयवर्ग भवन एवं भूखण्ड हेतु)	नकद के अनुसार	पंजीकरण जमा की धनराशि तथा आवंटन पर शेष मूल्य विदेशी मुद्रा (रु.एस. डॉलर, पौण्ड, स्टर्लिंग, जर्मन मार्क, जापानी येन, श्विस फ्रैंक, दीनार) से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कराकर देनी होगी। आवंटन केवल नकद क्रय आधार पर होगा। पंजीकरण आवेदन पत्र के पंजीकरण जमा धनराशि के विदेशी मुद्रा में परिवर्तित होने का सम्बन्धित बैंक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना है। वरीयता केवल विशिष्ट दौर में ही नकद के साथ होगी।

नोट

1. उपरोक्त में से क्रमांक-1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी ड्रा में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 10 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।
2. आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार शासन/परिषद के पास सुरक्षित है।
3. विशेष श्रेणियों को दी जाने वाली रियायतों में प्रतिबन्ध यह है कि आरक्षित वर्ग के आवेदकों को आवासीय सम्पत्ति के मूल्य में किसी प्रकार की छूट अनुमत्य नहीं होगी। यदि आरक्षित वर्ग के पंजीकृत आवेदकों की संख्या उनके लिए आरक्षित सम्पत्तियों की संख्या से कम होती है तो कोटा संविलियन के पश्चात भी शेष रहने वाली सम्पत्तियों को सामान्य श्रेणी के पंजीकृत आवेदकों को अथवा यथा निर्धारित आवंटित कर दिया जायेगा।
4. परिषद योजना द्वारा विस्थापित आवेदक को यदि अधिगृहीत सम्पत्ति के प्रतिकर का भुगतान नहीं हुआ है तो उसे पंजीकरण हेतु कोई धनराशि नहीं देय होगी। परन्तु आवंटन का आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व सामान्य निर्धारित पंजीकरण धनराशि देय होगी।
5. विदेश मुद्रा में पंजीकृत होने हेतु सामान्य आवेदकों की भांति पंजीकरण धनराशि विदेशी मुद्रा में एवं समस्य भुगतान की विदेशी मुद्रा में ही देय होगा।

विस्थापितों के लिये प्राविधान :-

विस्थापितों का शासन/परिषद आदेशों के अनुरूप वरीयता देय होगी। विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि/भवन परिषद द्वारा उस योजना हेतु अधिगृहीत किया गया है। विस्थापित आवेदकों के संबंध में निर्णायक मण्डल द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द / शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहां—जहां वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे :-

आवेदक का परिवार :-

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी / पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय :-

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड/भवन/फ्लैट :-

"भवन या मकान" शब्द में : "फ्लैट" भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति :-

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन, फ्लैट अथवा भूखण्ड से है।

विदेशी मुद्रा :-

विदेशी मुद्रा का तात्पर्य स्टर्लिंग पौंड, यू.एस. डालर, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस फ्रैंक और दीनार से हैं।

चरण (पंजीकरण का खुलना) :-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिए भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-

उ.प्र.राज्य की सेवा में तथा उ.प्र. राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

विस्थापित व्यक्ति :-

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि/भवन/फ्लैट परिषद द्वारा उस योजना में अधिगृहीत की गयी हो।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :-

- (1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रख गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।
- (2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपैन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।
- (3) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :-

सेवारत/सेवा निवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति :-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य :-

उ.प्र. (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / विकलांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण / जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

शहर	कोड सं०
लखनऊ	077
योजना	कोड सं०
अवध विहार योजना	095
सम्पत्ति श्रेणी (भूखण्ड)	कोड सं०
हरिजेन्टल आरक्षण E.W.S. फ्लैट्स	R1-A
लिंग	कोड सं०
स्त्री	F
पुरुष	M
पति एवं पत्नी (संयुक्त)	MF
भुगतान	कोड सं०
नगद	01
किश्त	02
आरक्षण श्रेणी	कोड सं०
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित (सामान्य वर्ग)	04
हारिजेन्टल आरक्षण	कोड सं०
वर्तमान विधायक, सांसद, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी।	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वरिष्ठ नागरिक (वृद्धजन)	O
विस्थापित	W

योजना के क्रियान्वयन हेतु परिषद के अधिकारियों के निम्न कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं-

श्री सुनील चौधरी

अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय वृत्त
मो0 : 8795810049

श्री के. आर. लोहमी

अधिशासी अभियन्ता, नि.ख.-15
मो. : 8795810079

योजना में पंजीकरण आवंटन एवं धनराशि वापसी से सम्बन्धित जानकारी के लिए परिषद के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं-

श्री अनिल कुमार यादव

संयुक्त आवास आयुक्त
दूरभाष : 0522-2235839

डॉ. अनिल कुमार

उप आवास आयुक्त
मो0: 8795810229

श्री के. एन. निपाठी

कनिष्ठ लेखाधिकारी
मो0 : 8795811186

श्री महेन्द्र नाथ शुक्ल

लेखाकार
मो0: 8795811163



शपथ-पत्र

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी..... उम्र.....

...वर्ष पुत्र / पुत्री / पत्नी..... निवासी.....

.....शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ :-


1. मैं भारत का नागरिक शपथपूर्वक बयान करता / करती हूँ :-
2. मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इसके पालन का वचन देता / देती हूँ।
3. मैं एतद्वार शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि धारा 1 से 4 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान-बूझकर परिषद को दिया गया है तो परिषद को मेरे विरुद्ध जो उपयुक्त समझे, कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्वारा शपथ बयान करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 3 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर



हमारा प्रयास



आपका आवास



पुस्तिका मूल्य: ₹300/-
(285.72+ 14.28 वैट सहित)



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

IS 15700 : 2005 – सेवोत्तम प्रमाणित

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001, Website: <http://www.upavp.com>, E-mail: upavp@sancharnet.in



ARROW PRINT
Cont. No. 98931174259, E-mail: arrowprint.1ko@gmail.com